THE DTH STORY

The DTH Story as it unfolds in India has seen a lot of ups and downs.

INTRODUCTION

Television broadcasting is one of the most popular means for mass communication. Television channels beamed using satellites are referred to as satellite TV channels. In India, these satellite TV channels are permitted to be carried by different distribution platforms namely Direct-to-Home (DTH), Cable TV services delivered through Multi-System Operator (MSO) and Local Cable Operator (LCO), Headend-in-the-Sky (HITS) services, and Internet Protocol Television (IPTV) services. Besides, there is a Terrestrial TV service which is provided by the Prasar Bharati under the brand name Doordarshan, the public broadcaster.

Among them, DTH service is the one in which many channels are digitally compressed, encrypted, and beamed to the Ku band satellites. From these satellites, the programs can be directly received at consumer premises as depicted in Figure 1. This mode of reception requires small dish antennas installed at convenient locations in the homes/buildings. DTH transmission does not need any commercial intermediary since an individual user is directly connected to the DTH operator. However, a digital receiver (set top box) is needed to receive the multiplexed signals and view them on TV.

The Government of India permitted the reception and distribution of television signals in Ku band vide its notification no. GSR 18(E) dated 9th January 2001 issued by the Department of Telecommunications (DoT). This marked the beginning of Direct-to-Home (DTH) broadcasting services in India in Ku band.

Ministry of Information and Broadcasting (MIB) has laid down policy guidelines for obtaining license for providing DTH broadcasting service in India on 15th

Figure 1: Overview of the DTH System

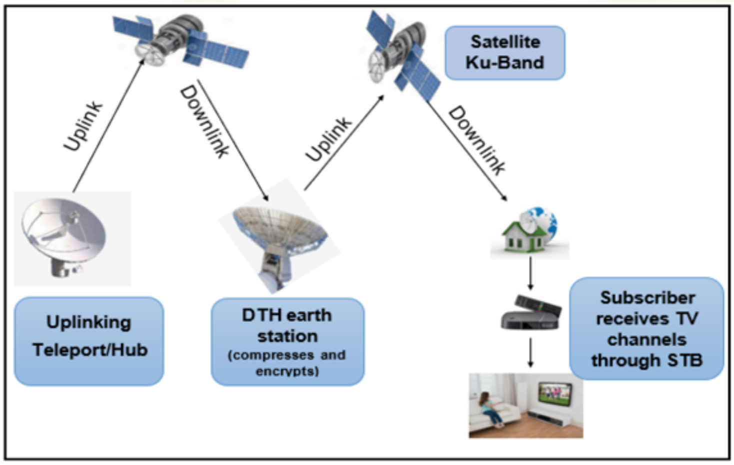

डीटीएच की कहानी

भारत में डीटीएच की कहानी जैसे-जैसे सामने आती है, उसमें कई उतार-चढ़ाव देखे गये हैं।

परिचय

टेलीविजन प्रसारण जनसंचार के सबसे लोकप्रिय साधनों में से एक है। सैटेलाइटों का उपयोग कर प्रसारित टेलीविजन चैनलों को सैटेलाइट टीवी चैनल कहा जाता है। भारत में, इन सैटेलाइट टीवी चैनलों को विभिन्न वितरण प्लेटफॉर्मो जैसे डॉयरेक्ट-टू-होम (डीटीएच), मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) और स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ), हेडएंड-इन-स्काई (हिट्स) सेवायें, और इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवाओं के माध्यम से वितरित केबल टीवी सेवाओं द्वारा ले जाने की अनुमति है। इसके अलावा एक टेरस्ट्रियल टीवी सेवा है जो प्रसार भारती द्वारा दूरदर्शन, सार्वजनिक प्रसारक के ब्रांड नाम के तहत प्रदान की जाती है।

उनमें से, डीटीएच सेवा वह है जिसमें कई चैनल डिजिटल रूप से कंप्रेस्ड, एन्क्रिप्टेड और केयू बैंड सैटेलाइटों को प्रसारित किये जाते हैं। जैसा कि **चित्र 1** में दर्शाया गया है इन सैटेलाइटों से कार्यक्रम सीधे उपभोक्ता के परिसर में प्राप्त किये जा सकते हैं। रिसेप्शन के इस तरीके के लिए घरों/भवनों में सुविधाजनक स्थानों पर छोटे डिश एंटीना स्थापित करने की आवश्यकता होती है। डीटीएच प्रसारण के लिए किसी वाणिज्यिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता सीधे डीटीएच ऑपरेटर से जुड़ा होता है। हालांकि मल्टीप्लेक्स सिगनल प्राप्त करने और उन्हें टीवी पर देखने के लिए एक डिजिटल रिसीवर (सेट टॉप बॉक्स) की आवश्यकता होती है।

भारत सरकार ने **9** जनवरी **2001** को दूरसंचार विभाग (डॉट) द्वारा जारी अपनी अधिसूचना संख्या जीएसआर **18** (ई) के माध्यम से केयू बैंड में टेलीविजन सिगनलों के रिसेप्शन व वितरण की अनुमति दी। इसने भारत में केयू बैंड में डॉयरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) प्रसारण सेवाओं की शुरूआत की।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने **15** मार्च **2001** को भारत में डीटीएच प्रसारण सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश किये हैं। इसमें कुछ संशोधन **1** जून

March 2001. Certain amendments therein have been notified on 1st June 2005, 11th May 2006, 31st July 2006, 29th May 2007, 10th September 2007 and 6th November 2007. These guidelines amended upto 2007 are hereinafter referred to as 'DTH Guidelines'. The 'DTH Guidelines' prescribe the eligibility criteria, the procedure for obtaining the license to set up and operate DTH services in the country, basic terms and conditions of the license and obligations of the licensee. The last amendment to the 'DTH Guidelines' was made on 30th December 2020 (hereinafter referred to as 'DTH Amendment').

The license is granted under Section 4 of the Indian Telegraph Act 1885, and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 on the terms and conditions prescribed to establish, maintain and operate DTH platform.

M/s ASC Enterprises (now M/s Dish TV India Ltd.) became the first DTH licensee to start DTH services in India in October 2003. DD Free Dish (erstwhile DD Direct Plus), the only Free-to-Air (FTA) DTH service was launched by the public broadcaster Prasar Bharati in December 2004 with the approval of the Union Cabinet. Prasar Bharati is an autonomous body set up under Prasar Bharti Act, 1990. M/s Tata Sky Ltd. (now M/s Tata Play Ltd.) launched its DTH services in August 2006. M/s Sun Direct TV Pvt. Ltd. and M/s Bharti Telemedia Ltd. launched services in 2007 and 2008, respectively. M/s Reliance Big TV (later named as Independent TV) launched its services in August 2008. Videocon d2h launched its services in June 2009. Subsequently, M/s Videocon d2h Ltd. got merged with and into M/s Dish TV India Ltd. w.e.f. 22nd March 2018 and services of M/s Independent TV was suspended by MIB vide its letter dated 31st July 2019. Hence, presently there are four pay DTH operators providing their services in the country.

सत्यमेव जयते
Ministry of Information & Broadcasting
Government of India

Broadcasting and cable services came under the purview of Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) with effect from 9th January 2004 by notification No. S.O.44(E) and 45(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, issued by DoT.

As mentioned above, on 30th December 2020 (Annexure-I), the Government of India issued the amendments to the 'DTH Guidelines', considering the

2005, **11** मई **2006**, **31** जुलाई **2006**, **29** मई **2007**, **10** सितंबर **2007** और **6** नवंबर **2007** को अधिसूचित किये गये हैं। **2007** तक संशोधित किये गये दिशानिर्देशों को इसके बाद 'डीटीएच दिशानिर्देश' कहा जायेगा। 'डीटीएच दिशानिर्देश' पात्रता मानदंड, देश में डीटीएच सेवाओं को स्थापित करने और संचालित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया, लाइसेंस की बुनियादी नियम व शर्ते और लाइसेंसधारी के दायित्वों को निर्धारित करता है। 'डीटीएच दिशानिर्देशों' में अंतिम संशोधन **30** दिसंबर **2020** को किया गया था। (इसके बाद इसे 'डीटीएच संशोधन' कहा जायेगा।)

लाइसेंस भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम **1885** की धारा **4** और भारतीय वायलेस टेलीग्राफी अधिनियम **1933** के तहत डीटीएच प्लेटफॉर्म की स्थापना, रखरखाव और संचालन के लिए निर्धारित नियम शर्तो पर दिया गया है।

मेसर्स एएससी एंटरप्राइजेज (अब मेसर्स डिश टीवी इंडिया लिमिटेड) अक्टूबर **2003** में भारत में डीटीएच सेवायें शुरू करने वाला पहला डीटीएच लाइसेंसधारी बन गया। डीडी फ्री डिश (पूर्व में डीडी डॉयरेक्ट प्लस), एकमात्र फ्री–टू–एयर (एफटीए) डीटीएच सेवा सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती द्वारा दिसंबर **2004** में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ शुरू किया गया था। प्रसार भारती 'प्रसार भारती अधिनियम **1990**' के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। मेसर्स टाटा स्काई लिमिटेड (अब मेसर्स टाटा प्ले लिमिटेड) ने अगस्त **2006** में अपनी डीटीएच सेवायें शुरू की। मेसर्स सन डॉयरेक्ट टीवी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स भारती टेलीमीडिया लिमिटेड ने क्रमशः **2007** और **2008** में अपनी सेवायें शुरू की। मेसर्स रिलायंस बिग टीवी (जिसे बाद में इंडिपेंडेंट टीवी नाम दिया गया था) ने अगस्त **2008** में अपनी सेवायें शुरू की। वीडियोकॉन डी**2**एच ने जून **2009** में अपनी सेवायें शुरू की। इसके बाद **22** मार्च **2018** को मेसर्स वीडियोकॉन डी**2**एच लिमिटेड का मेसर्स डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के साथ विलय हो गया और दिनांक **31** जुलाई **2019** के माध्यम से मेसर्स इंडिपेंडेंट टीवी की सेवाओं को एमआईबी द्वारा अपने पत्र के माध्यम से निलंबित कर दिया गया था। इसलिए वर्तमान में देश में चार पे–डीटीएच ऑपरेटर अपनी सेवायें प्रदान कर रहे हैं।

डॉट द्वारा जारी प्रसारण और केबल सेवायें **9** जनवरी **2004** से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग **3**, खंड **4** में अधिसूचना संख्या एसओ **44** (ई) और **45** (ई) द्वारा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के दायरे में आ गयी।

जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है कि **30** दिसंबर **2020** (**अनुबंध–1**) को, भारत सरकार ने **टेबल 1** में उल्लेखित डीटीएच

following TRAI recommendations on DTH services mentioned in Table 1.

The amendments dated 30th December 2020 were issued in respect of eligibility criteria, period of license, vertically integrated entity, reserving of operational channel capacity, entry fee, bank guarantee, license fee, platform service, sharing of infrastructure and set top box. Subsequently, the DTH operators were issued provisional licenses by MIB for providing DTH broadcasting services with effect from 1st April 2021. This provisional license is subject to adherence to the terms and conditions of the DTH Guidelines as amended up to 6th November 2007 and further amended on 30th December 2020.

Further, on 16th September 2022 (Annexure-II), MIB issued operational DTH Guidelines in respect of license Fee, platform service channels and sharing of infrastructure by DTH operators.

Any Indian company registered under the Companies Act, 1956 or 2013, desirous of operating DTH services in India has to apply through the Broadcastseva portal (https://new.broadcastseva.gov.in) of MIB. MIB, on verifying that the company meets the eligibility conditions, obtains the security clearance from the Ministry of Home Affairs (MHA) and clearance for usage of satellite from the Department of Space (DoS). Once the clearances are obtained, the company is asked to pay an entry fee of Rs. 10 crore. On payment of the entry fee, MIB communicates its intent to the company to issue the license.

Next, the company has to approach Wireless Planning and Coordination (WPC) for clearance from Standing Advisory Committee on Radio Frequency Allocations (SACFA). Once the SACFA clearance is obtained, the company has to submit a bank guarantee and sign the license agreement with MIB. After this, the company has to apply to WPC for obtaining the Wireless

Table 1: Recommendations considered for 'DTH Amendment

No.	TRAI Recommendations	Issued On
1.	Recommendations on Foreign Direct Investments (FDI) in Broadcasting Sector in India	22nd Aug 2013
2.	Recommendations on Issues related to New DTH Licenses	23rd Jul 2014
3.	Recommendations on Sharing of Infrastructure in Television Broadcasting Distribution Sector	29th Mar 2017
4.	Recommendations on Platform Services offered by DTH Operators	13th Nov 2019

सेवाओं पर ट्राई की निम्नलिखित सिफारिशों पर विचार करते हुए 'डीटीएच दिशानिर्देशों' में संशोधन जारी किया।

दिनांक **30** दिसंबर **2020** के संशोधन पात्रता मानदंड, लाइसेंस की अवधि, वर्टिकली एकीकृत इकाई, परिचालन चैनल क्षमता का आरक्षण, प्रवेश शुल्क, बैंक गारंटी, लाइसेंस शुल्क, प्लेटफॉर्म सेवा, बुनियादी ढांचे को साझा करने और सेट टॉप बॉक्स के संबंध में जारी किये गये थे। इसके बाद डीटीएच ऑपरेटरों को **1** अप्रैल **2021** से प्रभावी डीटीएच प्रसारण सेवायें प्रदान करने के लिए एमआईबी द्वारा तत्कालिक लाइसेंस जारी किये गये थे। यह तत्कालिक लाइसेंस **6** नवंबर **2007** तक संशोधित डीटीएच दिशा निर्देशों के नियमों व शर्तों के पालन के अधीन है और **30** दिसंबर **2020** को और संशोधित किया गया है।

इसके अलावा **16** सितंबर **2022** (**अनुबंध 2**) को एमआईबी ने लाइसेंस शुल्क, प्लेटफॉर्म सर्विस चैनल और डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा बुनियादी ढांचे को साझा करने के संबंध में परिचालन डीटीएच दिशा निर्देश जारी किये।

कंपनी अधिनियम **1956** या **2013** के तहत पंजीकृत कोई भी भारतीय कंपनी, जो कि भारत में कोई भी डीटीएच सेवाओं के संचालन का ईच्छुक है, को एमआईबी के ब्रॉडकास्ट सेवा पार्टल (https://new.broadcastseva.gov.in) के माध्यम से आवेदन करना होगा। एमआईबी, यह सत्यापित करने पर कि कंपनी पात्रता शर्तो को पूरा करती है, गृह मंत्रालय (एमएचए) से सुरक्षा मंजूरी और अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) से सैटेलाइट के उपयोग के लिए मंजूरी प्राप्त करती है। एक बार मंजूरी मिल जाने के बाद कंपनी को **10** करोड़ रुपये का प्रवेश शुल्क देने के लिए कहा जाता है। प्रवेश शुल्क के भुगतान के बाद एमआईबी कंपनी को लाइसेंस जारी करने के अपने इरादे के बारे में बताती है।

इसके बाद कंपनी को रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन (एसएसीएफए) पर स्थायी सलाहकार समिति से मंजूरी के लिए वायरलेस प्लॉनिंग एंड कोऑर्डिनेशन (डब्लूपीसी) से संपर्क करना होगा। एसएसीएफए की मंजूरी मिलने के बाद, कंपनी को बैंक गारंटी जमा करनी होगी और एमआईबी के साथ लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। इसके बाद कंपनी को वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस (डब्लूओएल) प्राप्त करने और नेटवर्क

Operating License (WOL), and a final Uplinking permission from Networks Operation Control Center (NOCC).

The Licensee is required to pay license fee to the Licensor (MIB) and shall also, in addition, pay the royalty fees for the spectrum used to WPC as prescribed by WPC. Further, DTH operators were required to pay NOCC charges of Rs. 21 lakh per transponder per annum for the use of space segment. However, these charges have been removed vide DoT letter dated 26th October 2022 from all service providers using space segment including DTH operators. The process flow is described in Figure 2.

ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर (एनओसीसी) से अंतिम अपलिंकिंग अनुमति प्राप्त करने के लिए डब्लूपीसी में आवेदन करना होता है।

लाइसेंसधारी को लाइसेंसर (एमआईबी) को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा और इसके अलावा डब्लूपीसी द्वारा निर्धारित स्पेक्ट्रम के लिए रॉयल्टी शुल्क का भुगतान करना होगा, जैसाकि डब्लीपीसी द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, डीटीएच ऑपरेटरों को स्पेस सेगमेंट के उपयोग के लिए प्रति ट्रांसपौंडर प्रति वर्ष **21** लाख रुपये के एनओसीसी शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। हालांकि इन शुल्कों को डीटीएच ऑपरेटरों सहित स्पेस सेगमेंट का उपयोग करने वाले सभी सेवा प्रदाताओं से **26** अक्टूबर **2022** के डॉट पत्र के माध्यम से इन शुल्कों को हटा दिया गया। इस प्रक्रिया को **चित्र 2** में वर्णित किया गया है।

Figure 2: Process for DTH License

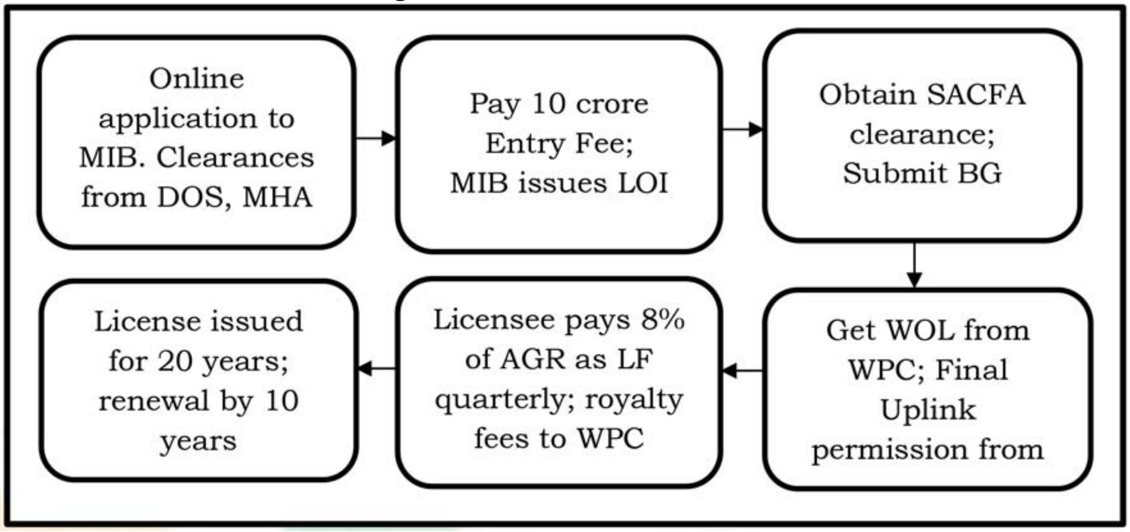

Predominantly, the pay TV services in India are being delivered through cable TV and DTH systems. Other modes of TV broadcasting such as IPTV and HITS have miniscule subscriber base when compared to the cable TV and the DTH universe. The television broadcasting sector presents a vibrant picture with more than 900 permitted satellite TV channels, 4 pay DTH operators, 1748 multi-system operators as on 31st December 2022 and around 81706 cable TV operators as on 01st January 2022 as communicated to MIB by Department of Posts.

As per an industry estimate reported in 2022, pay DTH and cable sector together has a subscriber base of 122 million as on March 2021. Out of the total 125 million paid subscribers of the TV industry, 67 million are cable, 55 million are pay DTH subscribers and 3 million are HITS subscribers. Besides, there are 43 million viewers of free

मुख्य रूप से भारत में पे–टीवी सेवायें केवल टीवी और डीटीएच सिस्टम के माध्यम प्रदान की जा रही है। केवल टीवी और डीटीएच ब्रहमांड की तुलना में आईपीटीवी और हिट्स जैसे टीवी प्रसारण के अन्य तरीकों के न्यूनतम ग्राहक आधार हैं। टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र **31** दिसंबर **2022** तक **900** से अधिक अनुमत सैटेलाइट टीवी चैनलों, **4** पे डीटीएच ऑपरेटरों, **1748** मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों और **1** जनवरी **2022** तक लगभग **81706** केवल टीवी ऑपरेटरों के साथ एक जीवंत तस्वीर प्रस्तुत करता है, जैसाकि डाक विभाग द्वारा एमआईबी को सूचित किया गया है।

2022 में रिपोर्ट किये गये एक उद्योग के अनुमान के अनुसार, पे डीटीएच और केवल क्षेत्र एक साथ मार्च **2021** में **122** मिलियन का सब्सक्राइवर आधार है। टीवी उद्योग के पास कुल **125** मिलियन पेड सब्सक्राइवर में से **67** मिलियन केवल हैं, **55** मिलियन पे पे डीटीएच के सब्सक्राइवर हैं और **3** मिलियन हिट्स के सब्सक्राइवर हैं। इसके अलावा, फ्री टीवी प्लेटफॉर्म

TV platform (DD Free Dish). The DTH and the cable sector presently cover more than 95 per cent of the total pay TV viewing universe. DTH services constitutes around 44% of the pay TV universe. However, in other countries, this ratio varies. Figure 3 depicts the split percentage of TV subscriber base amongst the various distribution platforms including DD Free Dish.

The trends of the total active subscriber base (including subscribers who have been inactive or temporarily suspended for not more than last 90 days) of the four existing DTH operators viz. Dish TV, Tata Play, Bharti Telemedia and Sun Direct for the last nine quarters as reported to TRAI is depicted in Figure 4. It may be seen that the DTH sector is showing a declining trend for the last two years.

(डीडी फ्री डिश) के **43** मिलियन दर्शक हैं। डीटीएच और केबल क्षेत्र वर्तमान में कुल पे टीवी देखने वाले ब्रहमांड के **95** प्रतिशत से अधिक को कवर करता है। पे टीवी जगत में डीटीएच सेवाओं की हिस्सेदारी लगभग 44% है। हालांकि अन्य देशों में यह अनुपात भिन्न होता है। **चित्र 3** में डीडी फ्री डिश सहित विभिन्न वितरण प्लेटफॉर्मो के बीच टीवी सब्सक्राइबर आधार के विभाजित प्रतिशत को दर्शाता है।

पिछले नौ तिमाहियों के लिए जैसाकि ट्राई को बताया गया है, चार मौजूदा डीटीएच ऑपरेटरों यानि डिश टीवी, टाटा प्ले, भारती टेलीमीडिया और सन डायरेक्ट के कुल सक्रिय ग्राहक आधार (पिछले **90** दिनों या उससे अधिक तक निष्क्रिय या अस्थायी रूप से निलंबित किये गये ग्राहकों सहित) को **चित्र 4** में दर्शाया गया है। इसमें देखा जा सकता है कि डीटीएच क्षेत्र में पिछले दो साल में गिरावट का रूख दिख रहा है।

Figure 3: Television subscriptions split (as on March 2022)

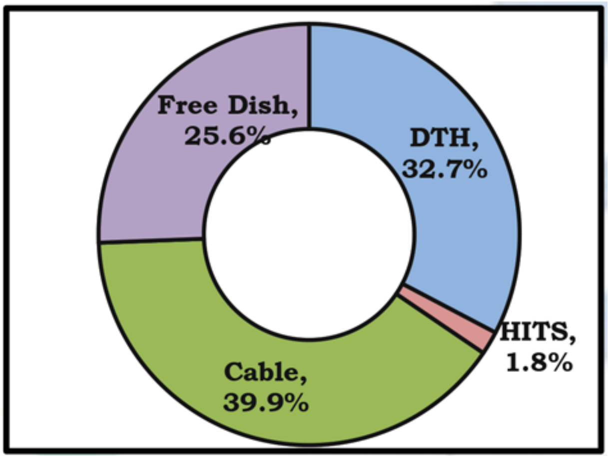

Figure 4: Total Active Subscriber Base of DTH Sector

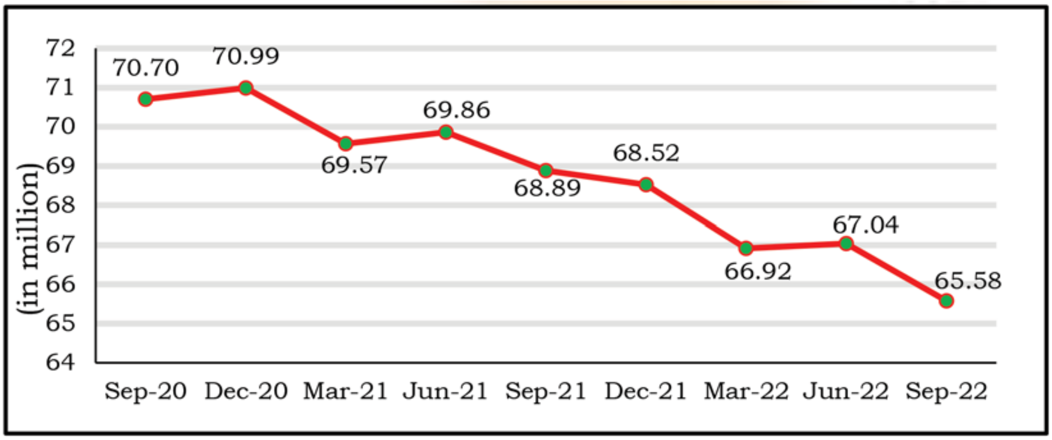

Pay DTH sector has attained a total active subscriber base of around 65.58 million in the quarter ending 30th September 2022. This is in addition to subscribers of DD Free Dish. The percentage share of each DTH operator is as shown in Figure 5.

THE PRESENT REFERENCE

Section(11)(1)(a) confers power to TRAI to make

पे डीटीएच क्षेत्र ने **30** सितंबर **2022** को समाप्त तिमाही में लगभग **65.58** मिलियन का कुल सक्रिय ग्राहक आधार प्राप्त किया है। यह डीडी फ्री डिश के ग्राहकों के अतिरिक्त है। प्रत्येक डीटीएच ऑपरेटर का प्रतिशत हिस्सा **चित्र 1.5** में दर्शाया गया है।

वर्तमान संदर्भ

धारा (**11**) (**1**) (ए) सेवा प्रदाता के लाइसेंस नियमों और

recommendations, either suo motu or on request from the licensor, on various matters including terms and conditions of license of a service provider.

TRAI is in receipt of a reference from MIB in view of the amendments carried out by DoT in October 2021 with respect to Adjusted Gross Revenue (AGR) and Bank Guarantee (BG) under telecom reforms as announced by Union Cabinet on 15th September 2021. TRAI has received this reference from MIB on 2nd February 2022 vide their letter No. 2/33/2021-BP&L (Annexure-III), requesting TRAI to examine the following issues from policy angle and furnish its recommendations under section 11(1)(a) of the TRAI Act, 1997:

Figure 5: Percentage share of DTH operators

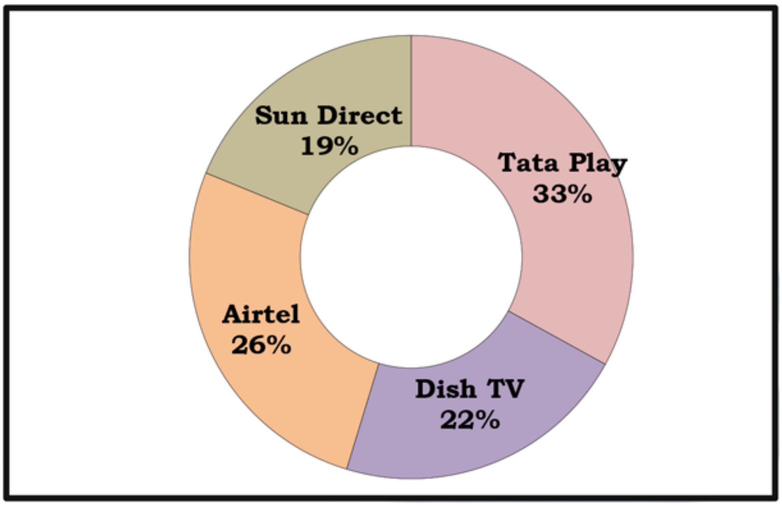

i. Issue of exclusion of non-licensed activities from definition of Gross Revenue in respect of DTH License fee as in case of recent amendments carried out by Department of Telecommunications (DoT) and/or identify any other base for levy of the license fee. Accordingly, the format of Form-D in DTH sector as per GR/AGR criteria may also be provided.

ii. Percentage/amount of Bank Guarantees (BGs) in respect of private DTH services as in case of recent amendments carried out by Department of Telecommunications (DOT); and

iii. Issue of Uniform License Fee (Level playing field) in respect of all Distribution Platform Operators (DPOs).

In the said reference, MIB has also mentioned that: *"DTH Association has also raised the matter of level playing field between Distribution Platform Operators (DPOs). It has been stated by HITS, while being licensed by this Ministry and security cleared by MHA, do not have to pay any license fee whereas DTH has to pay a License Fee @ 8% of AGR. To create a level playing field, they have requested the*

शर्तों सहित विभिन्न मामलों पर ट्राई को स्वतः या लाइसेंसकर्ता के अनुरोध पर सिफारिशें करने की शक्ति प्रदान करती है।

15 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा घोषित दूरसंचार सुधारों के तहत समायोजिक सकल राजस्व (एजीआर) और बैंक गारंटी (बीजी) के संबंध में दूरसंचार विभाग द्वारा अक्टूबर 2021 में किये गये संशोधनों के मद्देनजर ट्राई को एमआईबी से एक संदर्भ पत्र प्राप्त हुआ। ट्राई को एमआईबी से 2 फरवरी 2022 को उनके पत्र संख्या 2/33/2021-बीपीएंडएल (**अनुलग्नक-3**) के माध्यम से यह संदर्भ पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें ट्राई से अनुरोध किया गया है कि वह नीतिगत दृष्टिकोण से निम्नलिखित मुद्दों की जांच करे और ट्राई अधिनियम 1997 की धारा 11 (1) (ए) के तहत अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेः

1. डीटीएच लाइसेंस शुल्क के संबंध में सकल राजस्व की परिभाषा से गैर लाइसेंस गतिविधियों को बाहर करने का मुद्दा जैसाकि दूरसंचार विभाग (डॉट) द्वारा हाल ही में किये गये संशोधनों के मामले में और/या लाइसेंस शुल्क लगाने के लिए किसी अन्य आधार की पहचान करना। तद्नुसार, जीआर/एजीआर मानदंड के अनुसार डीटीएच क्षेत्र में फॉर्म-डी का प्रारूप भी प्रदान किया जा सकता है।
2. दूरसंचार विभाग (डॉट) द्वारा किये गये हालिया संशोधनों के मामले में निजी डीटीएच सेवाओं के संबंध में बैंक गारंटी (बीजी) का प्रतिशत/राशि, और
3. सभी वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) के संबंध में एक समान लाइसेंस शुल्क (लेवल प्लेइंग फील्ड) जारी करना।

उक्त संदर्भ में एमआईबी ने यह भी उल्लेख किया है किः *डीटीएच एसोसिएशन ने डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (डीपीओ) के बीच बराबरी का मामला भी उठाया है। हिट्स द्वारा यह कहा गया है कि इस मंत्रालय द्वारा लाइसेंस प्राप्त होने और एमएचए द्वारा सुरक्षा मंजूरी दिये जाने के दौरान, कोई लाइसेंस शुल्क नहीं देना पड़ता है जबकि डीटीएच को एजीआर के 8% की दर से लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। एक समान स्तर की*

Ministry to charge 4% License Fee from all the DPOs viz. Cable, HITS and DTH while not being too harsh a levy on Cable. It would also be revenue neutral for the exchequer."

License Fee Structure:

As far as the license fee payable by the DTH licensee is concerned, the extant guidelines prescribe that Licensee shall pay an annual fee equivalent to 8% of its adjusted gross revenue (AGR), to be paid on a quarterly basis to MIB. MIB has also prescribed a format as Form-D in the 'DTH Guidelines' for the DTH operators to provide the statement of Gross Revenue. MIB has also requested TRAI to provide the format of Form-D in DTH sector as per GR/AGR criteria.

Bank Guarantee Structure:

With respect to MIB reference on rationalization of BGs, it may be noted that the extant guidelines prescribe a Bank Guarantee for an amount of Rs. 5 crore for the first two quarters (for new entrants), and, thereafter, for an amount equivalent to estimated sum payable, equivalent to License fee for two quarters and other dues not otherwise securitized. Further, the Bank Guarantee shall be valid for a year, which should be renewed on a year-on-year basis in such a manner that the Bank Guarantee remains valid during the entire license period.

Level playing field:

MIB vide its reference has also requested TRAI to examine the issue of uniform license fee for level playing field in the distribution sector. The Distribution Platform Operators (DPOs) are governed by different sets of policy guidelines or acts and rules, hence different fee structures are applicable to these entities as prescribed in their corresponding guidelines. ■

व्यवस्था बनाने के लिए, उन्होंने मंत्रालय से केबल पर बिना किसी कठोर रूख के सभी डीपीओ यानि केबल, हिट्स व डीटीएच से 4% लाइसेंस शुल्क लेने का अनुरोध किया है। यह सरकारी खजाने के लिए राजस्व तटस्थ भी होगा।

लाइसेंस शुल्क संरचनाः

जहां तक डीटीएच लाइसेंसधारी द्वारा देय लाइसेंस शुल्क का संबंध है, मौजूदा दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं कि लाइसेंसधारी अपने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 8% के बराबर वार्षिक शुल्क का भुगतान करेगा, जिसका भुगतान एमआईबी को तिमाही आधार पर किया जायेगा। एमआईबी ने सकल राजस्व का विवरण प्रदान करने के लिए डीटीएच ऑपरेटरों के लिए डीटीएच दिशानिर्देश फॉर्म–डी के रूप में एक प्रारूप भी निर्धारित किया है। एमआईबी ने ट्राई से जीआर/एजीआर मानदंड के अनुसार डीटीएच क्षेत्र में फॉर्म–डी का प्रारूप प्रदान करने का भी अनुरोध किया है।

बैंक गारंटी संरचनाः

बीजी के युक्तिकरण पर एमआईबी संदर्भ के संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि मौजूदा दिशानिर्देश पहली दो तिमाहियों (नये प्रवेशकों के लिए) के लिए 5 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी निर्धारित करते हैं और उसके बाद दो तिमाहियों के लिए लाइसेंस शुल्क के बराबर देय अनुमानित राशि के बराबर राशि के लिए और अन्य बकाया राशि जो अन्यथा प्रतिभूत नहीं है। इसके अलावा बैंक गारंटी एक वर्ष के लिए वैध होगी, जिसे साल दर साल आधार पर इस तरह से नवीनीकृत किया जाना चाहिए कि बैंक गारंटी पूरी लाइसेंस अवधि के दौरान वैध रहे।

लेवल प्लेइंग फील्डः

एमआईबी ने अपने संदर्भ में ट्राई से वितरण क्षेत्र में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए एक समान लाइसेंस शुल्क के मुद्दे की जांच करने का भी अनुरोध किया है। डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) नीतिगत दिशानिर्देशों या अधिनियमों और नियमों के विभिन्न सेटों द्वारा शासित होते हैं, इसलिए इन संस्थाओं के लिए अलग–अलग शुल्क संरचनायें लागू होती हैं, जैसाकि उनके संबंधित दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है। ■